

एजेंडा मद संख्या 3

परिषद द्वारा दिनांक 22.09.2022 को दिए गए न्यायनिर्णय

धारा 14 - प्रेस के विरुद्ध शिकायतें

26.08.2022 को नई दिल्ली में हुई बैठक में जांच समिति-I द्वारा

सुने गए मामले

<u>क्र.सं.</u>	<u>फाइल/मामला सं.</u>	<u>विषय</u>
1	14/304/17-18-पीसीआई	सचिव, संदेश, जगपति निवास की संपादक, हिंदुस्तान, पटना, बिहार के विरुद्ध शिकायत।

भारतीय प्रेस परिषद

मद सं.1

फा.सं.14/304/17-18-पीसीआई

शिकायतकर्ता

श्री अमरनाथ चक्रवर्ती,
सचिव,
संदेश,
पटना (बिहार)।

प्रतिवादी

संपादक,
हिंदुस्तान,
बुद्ध मार्ग,
पटना, बिहार।

न्यायनिर्णय दिनांकित 22.9.2022

यह शिकायत दिनांक 13.09.2017 को श्री अमरनाथ चक्रवर्ती, सचिव, संदेश, पटना, बिहार द्वारा संपादक, हिन्दुस्तान, पटना, बिहार के खिलाफ दिनांक 11.09.2017, 12.09.2017, 13.11.2017 और 20.11.2017 के अंक में कथित रूप से भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि नाबालिगों या किशोरों को विचलित करने वाले आपत्तिजनक विज्ञापनों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मोबाइल नंबरों पर नौकरी के अवसर संबंधी प्रस्ताव देने वाले ऐसे विज्ञापनों के माध्यम से, नौकरी पाने की चाह/ आकांक्षा रखने वालों को, निहित स्वार्थ हेतु, मूर्ख बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी समाचारपत्र, हिंदुस्तान, सेक्स-संबंधी समस्या के इलाज के लिए आश्वस्त करने वाले विज्ञापन भी नियमित रूप से प्रकाशित कर रहा है। शिकायतकर्ता ने परिषद से प्रार्थना की है कि जनहित में, ऐसी आशालीनता के खिलाफ निवारक उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

शिकायतकर्ता ने नोटिस दिनांकित 22.11.2017 द्वारा प्रतिवादी का ध्यान आक्षेपित विज्ञापनों की ओर आकर्षित किया परंतु कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

प्रतिवादी को लिखित वक्तव्य दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिनांकित 08.01.2018 जारी किया गया था, परंतु 17.5.2018 को अनुस्मारक जारी करने के बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

दिनांक 09.07.2019 को यह मामला पटना में जांच समिति के समक्ष सुनवाई हेतु आया। प्रतिवादी ने ना तो कोई जवाब दाखिल किया और न ही जांच समिति के समक्ष

उपस्थित हुए। तत्पश्चात, जांच समिति ने प्रतिवादी को समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन भेजने का निदेश दिया और मामले को स्थगित कर दिया गया।

यह मामला 21.1.2020 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु आया। जांच समिति ने टिप्पणी की, कि “परिषद के संज्ञान में आया है कि देश के विभिन्न स्थानों से प्रकाशित, प्रतिवादी समाचारपत्र, 'हिंदुस्तान' द्वारा विधि और पत्रकारिता के आचरण के मानकों का बार-बार उल्लंघन और अवज्ञा की जा रही है। परिषद ने कई मौकों पर ऐसे विज्ञापनों के बारे में टिप्पणियां की हैं और वास्तव में समाचारपत्र की परिनिंदा की है। इसके बावजूद, प्रतिवादी ने यह कार्रवाई बंद नहीं की। मामले की गंभीरता को देखते हुए, जांच समिति का मत है कि पटना से प्रकाशित, हिन्दुस्तान के संपादक और उक्त समाचार पत्र के मुख्य संपादक को व्यक्तिगत रूप से जांच समिति के सामने पेश होने और मामले को स्पष्ट करने के लिए कहा जाए।

उक्त निदेशों के साथ, जांच समिति ने मामले को स्थगित कर दिया।”

शिकायतकर्ता ने ईमेल दिनांकित 02.08.2022 के माध्यम से बताया है कि प्रतिवादी समाचारपत्र, हिंदुस्तान द्वारा अभी भी अपने विभिन्न अंकों में आपत्तिजनक/भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं।

हिन्दुस्तान, पटना द्वारा दायर किया गया लिखित वक्तव्य

प्रतिवादी ने लिखित वक्तव्य दिनांकित 23.08.2022 जोकि कार्यालय में दिनांक 24.08.2022 को प्राप्त हुआ, के जरिये बताया है कि उसने दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय से उसके असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के तहत उचित रिट जारी करने के लिए संपर्क किया है, जिसमें मामला संख्या 29/एसएम/2020-ए और 278/एसएम/2020-ए में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.01.2021 को रद्द करने के संबंध में उत्प्रेषण रिट और/या आवश्यक निदेश देना भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि आक्षेपित आदेश को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांकित 03.03.2021 के द्वारा, प्रतिवादी के बोलने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) और 19 (1) (जी) के तहत क्रमशः वाणिज्यिक भाषण और व्यापार की स्वतंत्रता शामिल है, के अनुसार रोक लगा दी थी।

प्रतिवादी ने, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, कहा कि विज्ञापन, भारतीय संविधान के तहत परिकल्पित विधि के प्रासंगिक प्रावधानों के आधार पर प्रकाशित किए गए थे। उन्होंने कहा कि पहले तो उक्त विज्ञापन संबंधित विज्ञापनदाताओं से प्राप्त हुए हैं, बाद में कथित विज्ञापनों का समाचारपत्र में प्रकाशन हेतु उपयोग किया गया है।

उन्होंने बताया कि "नौकरी" प्रस्ताव संबंधी विज्ञापन, हालांकि, किसी भी तरह से स्पष्ट प्रकृति के नहीं हैं और किसी भी प्रकार से ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जिससे पाठकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो। उन्होंने कहा है कि उनके समाचारपत्र में प्रकाशित उक्त विज्ञापन संबंधित विज्ञापनदाताओं द्वारा दिये गए रिलीज़ ऑर्डर पर आधारित थे।

प्रतिवादी ने आगे बताया कि उनके समाचारपत्र में प्रकाशित, दिनांक 11.07.2017 और 12.09.2017 के विज्ञापन, तत्काल शक्ति और यौवन आदि प्राप्त करने हेतु आयुर्वेदिक दवा की उपलब्धता के बारे में सामान्य रूप से प्रचार करने/जागरूकता से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञापन विशुद्ध रूप से सूचना और प्रचार के उद्देश्य से प्रकाशित किए गए। उन्होंने बताया कि वे किसी भी तरह से किशोरों और नाबालिगों की वासना को भड़काने या उनकी सोच को प्रभावित करने की मंशा नहीं रखते हैं, जैसा कि देश के विभिन्न दांडिक प्रावधानों में निहित है, और इस तरह उन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। उन्होंने परिषद से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

जांच समिति की रिपोर्ट

यह मामला 26.8.2022 को नई दिल्ली में जांच समिति के समक्ष अंतिम सुनवाई हेतु आया। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जबकि प्रतिवादी समाचारपत्र की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि, सर्वश्री गोविंद विजय, प्रतीक मिश्रा और अरुण पाठक उपस्थित हुए।

श्री अमरनाथ चक्रवर्ती, सचिव, संदेश, पटना, बिहार ने अपने दावे के प्रमाण में दिनांक 13.09.2017 को संपादक, हिन्दुस्तान, पटना, बिहार के खिलाफ दिनांक 11.09.17, 12.09.17, 13.11.17, 20.11.17 और 25.11.17 के अंको में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर शिकायत दर्ज की है।

यह बताया गया है कि इन विज्ञापनों का किशोरों के दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और वे सही मार्ग से भटक सकते हैं। ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए। आगे यह कहा गया है कि कुछ विज्ञापन नौकरी पाने की चाह रखने वालों के लाभ के लिए जारी किए जाते हैं। निहित स्वार्थ रखने वाले व्यक्तियों द्वारा नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मोबाइल नंबर देकर ही विज्ञापनों के जरिए नौकरी का प्रस्ताव दिया जाता है। इन विज्ञापनदाताओं के लिए सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी का प्रस्ताव देना संभव नहीं है। यह भी कहा गया है कि विज्ञापनदाताओं द्वारा समाचारपत्रों को अपने विज्ञापन, अपने लेटरहेड पर भेजने चाहिए और पहचान के लिए उन्हें अपने पैन कार्ड का विवरण देना चाहिए ताकि उम्मीदवारों को धोखा न हो। ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगनी चाहिए।

प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस दिनांकित 08.01.18 जारी किया गया। अनुस्मारक दिनांकित 17.05.18 जारी किया गया। तथापि, नोटिस सेवित किए जाने के बावजूद, प्रतिवादी न तो उपस्थित हुआ और न ही उसके द्वारा कोई लिखित वक्तव्य दाखिल किया गया। समिति ने 09.07.2019 को इसे नोट किया और प्रतिवादी संपादक, हिंदुस्तान, पटना को समन करने का आदेश दिया, उसके बाद 01.01.2020 को संपादक, हिंदुस्तान, पटना को अगली तारीख पर जांच समिति के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया गया। मामला स्थगित कर दिया गया। दिनांक 21.01.2020 को, समिति ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" परिषद ने गौर किया है कि देश के विभिन्न स्थानों से प्रकाशित, प्रतिवादी समाचारपत्र, 'हिंदुस्तान' द्वारा विधि और पत्रकारिता के आचरण के मानकों का बार-बार उल्लंघन और अवज्ञा की जा रही है। समिति ने तब टिप्पणी की, कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, जांच समिति की राय है कि पटना से प्रकाशित, हिंदुस्तान के संपादक और उक्त समाचारपत्र के मुख्य संपादक को जांच समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने और मामले को स्पष्ट करने के लिए कहा जाए। इन टिप्पणियों के साथ, जांच समिति ने मामले को स्थगित कर दिया।"

इन टिप्पणियों के बावजूद, संपादक और मुख्य संपादक, समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

प्रतिवादी ने ईमेल दिनांकित 01.04.21 के माध्यम से, मामले में उत्तर दाखिल करने हेतु, परिषद से शिकायत की एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसके उत्तर में, परिषद ने शिकायत की एक प्रति प्रतिवादी के अधिवक्ता को दिनांक 01.04.21 को सौंप दी थी।

हालाँकि, शिकायत की प्रति प्रतिवादी के अधिवक्ता को दिनांक 01.04.21 को दे दी गई थी, इसका उत्तर, परिषद में 24.08.2022 को दायर किया गया है और इसे आज, अर्थात, 26.08.2022 को मामले की सुनवाई के दौरान समिति को सौंपा जा रहा है। समिति ने उत्तर का अवलोकन किया और इसमें ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया जा सके। समिति ने हिंदुस्तान द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों का अवलोकन किया। कुछ विज्ञापनों में लोगों की सेक्स संबंधी समस्याओं को हल करने का दावा किया गया है। वे निस्संदेह अशिष्ट हैं। इसके अलावा, बड़े-बड़े दावे किए गए हैं कि यौन समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इस तरह के विज्ञापन न केवल अश्लील होते हैं, बल्कि उन व्यक्तियों में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जटिलता पैदा कर सकते हैं, जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा सुझायी गयी दवाएं लेते हैं। दवाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इन बड़े बड़े दावों को करने वाले व्यक्तियों के नाम और शैक्षिक योग्यता का कोई विवरण नहीं दिया गया है। यह ज्ञात नहीं है कि ये व्यक्ति कहां से काम कर रहे हैं; केवल मोबाइल नंबर दिए गए

हैं। यहां पत्रकारिता के आचरण के मानकों का उल्लेख करना भी आवश्यक है। विज्ञापन शीर्षक के तहत मानक 2(v) निम्नानुसार पठनीय है:

“समाचारपत्र ऐसे किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित न करें, जिसमें ऐसा कुछ हो, जो अवैध या गैरकानूनी हो या सुरुचि अथवा पत्रकारिता की आचारनीति अथवा औचित्य के विरुद्ध हो।”

विज्ञापन शीर्षक के अंतर्गत मानक 2(x) निम्नानुसार है:

“संपादकों को, विज्ञापनों को स्वीकार या अस्वीकार करने के अंतिम निर्णय में, अपने अधिकार पर जोर देना चाहिए विशेषतः ऐसे विज्ञापनों के संबंध में, जो शालीनता तथा अश्लीलता के बीच की सीमा रेखा पर हों अथवा उसे पार कर रहे हों।”

शीर्षक, अश्लीलता तथा अशिष्टता से बचा जाए के तहत मानक 28(i) निम्नानुसार पठनीय है:

“समाचारपत्र / पत्रकार ऐसा कुछ भी प्रकाशित नहीं करेंगे जो अश्लील, अशिष्ट अथवा जन सुरुचि के प्रतिकूल हो।”

कुछ विज्ञापनों में नौकरियों का प्रस्ताव दिया गया है, वे भी समान रूप से आपत्तिजनक हैं। विदेश जैसे कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी के प्रकार, संगठन और कंपनी, जिसमें नौकरी दिये जाने का प्रस्ताव है और जो इसका प्रस्ताव दे रहा है, का कोई विवरण दिए बिना नौकरियों का प्रस्ताव दिया जाता है। मोबाइल नंबर के अलावा कोई विवरण नहीं दिया जाता। ऐसे स्थानों पर नौकरी की तलाश में जाने वाले लोगों की दुर्दशा जगजाहिर है। इस संबंध में, फिर से पत्रकारिता के आचरण के मानकों का रुख करना लाभप्रद होगा। शीर्षक विज्ञापन के तहत मानक 2(xxvii) निम्नानुसार पठनीय है:

नौकरियों के विज्ञापन, केवल फोन नंबरों को देते हुए, किसी भी अन्य विवरण, जैसे कि चयन किए जाने कि स्थिति में भावी उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, के बिना और नियोक्ता की पहचान के बिना प्रकाशित करना अनैतिक है और इसे प्रकाशित नहीं किया जाए क्योंकि यह “मानव तस्करी” को सरल बना सकता है जिससे कई असंदिग्ध लड़के और लड़कियां शिकार बन जाएंगे।

ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने के इच्छुक समाचारपत्रों को, ऐसे विज्ञापनों में, उनको सौंपे जाने वाले काम की प्रकृति को प्रकाशित करना चाहिए, ताकि अनैतिक कार्यों को बढ़ावा न मिले।

**"अस्वीकरण" का प्रकाशन समाचारपत्र को उसके उत्तरदायित्व से विमुक्त नहीं करेगा।*

इस संबंध में, पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2020 का उल्लेख करना भी आवश्यक है। मानक 12 (viii), शीर्षक संपादक का विवेक के तहत निम्नानुसार पठनीय है:

नौकरी/रोजगार संबंधी विज्ञापन को अपर्याप्त विवरण के साथ प्रकाशित करते समय संपादकों को समाज के प्रति अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इससे मानव तस्करी सरलतापूर्वक की जा सकती है और इसे समुचित जांच के बाद ही प्रकाशित किया जाए।

समिति का मानना है कि इन विज्ञापनों की जांच करने हेतु एक आंतरिक प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि विज्ञापनों की सामग्री जनता के लिए भ्रामक न बन जाए।

इन परिस्थितियों में, समिति का मानना है कि इस तरह के विज्ञापनों को प्रकाशित करना पत्रकारिता के आचरण के मानकों का उल्लंघन है। यह पत्रकारिता के उच्च स्तर को कम करता है। यह पत्रकारिता के आचरण के मानकों का अनादर दर्शाता है। इसलिए, जांच समिति परिषद को समाचारपत्र, 'हिंदुस्तान' की कड़ी **परिनिंदा** करने का परामर्श देती है।

निर्णय

प्रेस परिषद मामले के अभिलेखों और जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समिति के तर्कों और निष्कर्षों को स्वीकार करती है तथा उसकी रिपोर्ट को अंगीकार करती है और प्रतिवादी समाचारपत्र, हिंदुस्तान की **परिनिंदा** करने का निर्णय लेती है।